ये या तो 'तेल कंपनियों' अथवा तेल चयन बोर्डों में समाधान के विभिन्न चरणों में हैं।

मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जिलों में एल० पी० जी० एजेंसियां

2986. **कुमारी सईदा खातून :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मध्य और उड़ीसा के उन जिला की संख्या कितनी है जहां एल. पी. जी. एजेंसियां विद्यमान हैं और उन स्थानों के नाम क्या-क्या है जहां ये स्थित है ;

(ख) क्या जनता को पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में किसी नई एजेंसी की स्वीकृति दिये जाने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार जनता की सुविधा के लिए उड़ीसा में मयूरभंज जिले में एल. पी.जी. और पेट्रोलियम की आपूर्ति के लिए नई एजेंसियां खोलने की स्वीकृति देने का भी विचार रखती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) फिलहाल, मध्य प्रदेश के 45 जिलों में उड़ीसा के 13 जिलों में क्रमशः 207 और 75 डिस्ट्री-ब्यूटरशिपों के नेटवर्क के माध्यम से ए. पी. जी. का विपणन किया जाता है। उपर्युक्त स्थानवार सूचना को एकत्र करने में शामिल प्रयास, इससे प्राप्त किए जाने वाले लोक हित के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) और (ग) जी, नहीं वर्तमान नीति के अनुसार नई एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें उन कस्बों और शहरों में स्थापित की जाती हैं जहां की जनसंख्या 20,000 अथवा इससे अधिक हो जहां विपणन की संभावना हो।

Facilities in Osmania General Hospital, Hyderabad

2987. SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that patients are not getting proper medical treatment in the Osmania General Hospital Hyderabad due to shortage of proper medical equipments;

(b) whether it is also a fact that the Japanese Government is willing to give certain advance medical equipments as grants-in-aid to the hospital but the matter is pending consideration with the Central Government;

(c) if so, what are the details thereof and by when the proposal is likely to be cleared; and

(d) whether any aid was provided by the Central Government to the above Hospital, if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RASHEED MASOOD): (a) to (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

शीतल पेयों पर प्रतिबंध

2988. **डा० अ रार अहमद खान :** **क्या स्वास्थ्य और परिवार क याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की जानकारी है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण लिम्का तथा कुछ अन्य शीतल पेयों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए ;

(ख) लिम्का और ऐसे अन्य शीतल पेयों पर लगे प्रतिबन्ध को अब तक लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या "पेप्सी कोला" ने बाजार में प्रवेश पाने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) सरकार ने 'लिम्का एण्ड फाल्स सेज एम आर पी टी पी सी' शीर्षक से एक पेस रिपोर्ट देखी है । एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग ने 6.7.90 को एक आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए अपने प्रचार अभियान में झूठ और गुमराह करने वाले विज्ञापन को जारी रखे रहने से लिम्का के निर्माण को रोका है ।

खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अन्तर्गत लिम्का और कुछ अन्य शीतल पेयों के उपयोग पर कोई रोक नहीं लगाई गई है ।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत में कोई व्यक्ति पैप्सी कोला का निर्माण नहीं कर रहा है । बहरहाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में मैसर्स पैप्सी फूड्स द्वारा नियुक्त किए गए कई फेचाइजिज को फल उत्पाद आदेश, 1955 के अंतर्गत लेहर पेप्सी, लेहर 7 अप और लेहर मिरिंज जैसे मीठे वातित पेय निर्माण करने की अनुमति दी गई है । दिल्ली स्थित अधिकारियों को इन बांडों के निर्माण के लिए अपने लेवल/क्राउन की अनुमति अभी दी जानी है ।

यद्यपि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अधिकारियों को पेप्सी के सोफ्ट ड्रिंक्स बोतलों की अनुमति दी गई है । लेकिन उन्होंने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है ।

लेहर पेप्सी (कोलारस पेय) का विश्लेषण खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के फल और वनस्पति संरक्षण निदेशालय के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया गया है और वे फल उत्पाद आदेश, 1955 के मानकों के अनुरूप पाए गए । उत्तरी क्षेत्र से अभी कोई नमूना नहीं लिया गया है ।

Schemes executed with the financial assistance from the Salt Cess Fund

2989. SHRI ANANTRAY DEV SHANKER DAVE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state

(a) whether it is a fact that a lot of delay takes place in giving administrative approval to the schemes which are executed with financial assistance from Salt Cess Fund; and

(b) if so, how many meetings of the Gujarat Regional Advisory Salt Boards have been held since 1987 onwards and what was the total number of schemes and the amounts sanctioned therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): (a) No, Sir.

(b) Three meetings were held by Gujarat Regitonal Advisory Board for salt during 1987-90 (July). During the above period a total number of 73 schemes have been sanctioned and an amount of Rs. 88.19 lakh has been provided from the Salt Cess Proceeds.

परिवार नियोजन नीति की समीक्षा

2990. **श्रीराम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1990 के टाइम्स आफ इंडिया में "नीड टू रीओरिएंट पोपुलेशन पोलिसीज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में भारी मात्रा में धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद जन्मदर में कोई विशेष कमी नहीं हुई है;